

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामधन जाति खटीक निवासी ग्राम दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर (राज०)।

-----सायल

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज०)।

-----गैरसायल

प्रार्थना-पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश

दिनांक :- 07.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपना प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया कि आराजी खसरा संख्या 799, 805 रकबा 0.89 हैक्टे०., 796, 797 रकबा 1.08 हैक्टे, 779 रकबा 0.56 हैक्टे. वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम अशोक कुमार पुत्र श्री रामधन दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामधन है। प्रार्थी ने अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने नाम अशोक कुमार के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद दुरुस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्राम पंचायत दांतिया की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं पहचान पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हत्या व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायला द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंसा का अवलोकन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड पेन कार्ड से आराजी ख. नं. 799, 805 रकबा 0.89 हैक्टे०., 796, 797 रकबा 1.08 हैक्टे, 779 रकबा 0.56 हैक्टे. वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में अशोक कुमार पुत्र श्री रामधन जाति खटीक के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामधन जाति खटीक दुरुस्त किया जाना लचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

---आदेशः---

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 799, 805 रकबा 0.89 हैक्टे०., 796, 797 रकबा 1.08 हैक्टे, 779 रकबा 0.56 हैक्टे. वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में अशोक कुमार पुत्र श्री रामधन जाति खटीक के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामधन जाति खटीक दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तनुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चैतीवाल)
सहायक उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (शुक्रवार) राज०